33/17

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/2

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.
कैम्प– चक 13 जी छोटी

आवेदनपत्र संख्या 33/2016
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुश्री मनजोतकौर आयु 10 वर्ष आत्मजा श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, गांव 11 एच.एच. ढींगांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्राकृतिक माता श्रीमती वीरपालकौर धर्मपत्नी श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
2. राजेन्द्रसिंह आयु 8 वर्ष आत्मज श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एस. द्वारा प्राकृतिक माता श्रीमती वीरपोलकौर धर्मपत्नी श्री कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर,

.....आवेदकगण

बनाम

कुलवन्तसिंह उर्फ कान्तासिंह, जटसिख, चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.......अनावेदक

उपस्थिति– श्री अवरिन्द्रसिंह (आवेदक)
श्री संजय जनवेजा (अनावेदकगण)

दिनांक 13 जून 2017

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 11 एच.एच. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18, 19 एएवं 30 में 11.638 हैक्टर में से 1.454 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख सम्बत् 2069–2072 के अनुसार अनावेदक के नाम पर संयुक्त खातेदारी दर्ज है. जो कि पैतृक कृषि भूमि है. अनावेदक बुरी आदतों का शिकार है तथा गलत लोगों के प्रभाव में तथा गलत आदतों की पूर्ति के लिये प्रश्नगत कृषि भूमि अन्तरित करने में प्रयासरत है. अनावेदक आवेदकगण की माता को छोड़कर अन्यत्र निवास कर रहा है. इसी कारण अनावेदक उक्त पैतृक कृषि भूमि को अन्तरित कर आवेदकगण को उनके हक व हिस्सा से वंचित करने में प्रयासरत है. जबकि प्रश्नगत कृषि भूमि का विभाजन करवाये बिना अनावेदक प्रश्नगत कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से अन्तरित करने का अधिकारी नही है. यदि वह अपने प्रयासों में सफल हो जाता है तो आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होगी. इस प्रकार प्रथमदृष्टया वादकरण एवं सुविधा का सन्तुलन आवेदकगण के

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

83/17

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/3

पक्ष में है. इस प्रकार, चक 11 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18,19 एवं 30 की 11.638 हैक्टर में में से अनावेदक के नाम पर दर्ज 1.454 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विकय एवं अन्य किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्व करने की अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया.

अनावेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित.

अनावेदक की ओर से जवाब आवेदनपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर दिनांक 13 जून, 2017 को अन्तिम अवसर दिया गया. तदोपरान्त भी जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किये जाने के परिणामतः दिनांक 22 जून, 2017 को जवाब आवेदनपत्र बन्द किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 से यह तथ्य सिद्व नहीं होता है कि अनावेदक के नाम पर दर्ज 1.454 हैक्टर कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में सिद्व नहीं होता है.

अतः आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष कैम्प न्यायालय– चक 13 जी छोटी में आज दिनांक 13 जुलाई 2017 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.